न्यायालय सिविल जज जू०डि०, खलीलाबाद स्थान–बस्ती
मूलवाद सं० 143/2020
राघवराम बनाम लवकुश
C.N.R.No. UPBS120001852020

27.05.2020

पेश हुआ। प्रार्थना पत्र 6 ग 2 पर वादी अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि वादी द्वारा विवादित भूमि शिकमी नम्बर 129 प्रदर्शित नक्शा नजरी वादपत्र ए, बी, सी, डी के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा की याचना की गयी है। अपने कथन के समर्थन में सूची 10 ग 1 द्वारा नकल खसरा आबादी मय हिन्दी अनुवाद, नकल कोर्रा आबादी मय हिन्दी अनुवाद, छायाप्रति नक्शा आबादी मय हिन्दी अनुवाद, दाखिल किया है। वादी द्वारा विवादित भूमि पर अपने स्वामित्व एवं कब्जे के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में बिना प्रतिवादी को सुने एकपक्षीय आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

प्रतिवादी को नोटिस जारी हो। वादी पैरवी अन्दर तीन दिवस करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 6 ग 2 दिनांक–09.07.2020 को पेश हो।

सिविल जज जू०डि०
खलीलाबाद स्थान– बस्ती
(J.O.Code UP 2272)

निस्तारण प्रार्थना पत्र 8 ग२

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 8 ग 2 विशेष वाहक हेतु प्रस्तुत किया गया है। स्वीकार किया जाता है, वादी पैरवी अन्दर तीन दिवस करे।

सिविल जज जू०डि०
खलीलाबाद स्थान– बस्ती
(J.O.Code UP 2272)